



पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार
ऑफ पोलो रोड, पटना

अल्पकालीन निविदा सूचना

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन) द्वारा पटना के गाँधी मैदान में 15 अगस्त 2017 के अवसर पर "पशुओं पर क्रूरता" विषय पर प्रदर्शित होने वाली झांकी के निर्माण एवं प्रदर्शनी के लिए ख्यातिप्राप्त प्रतिष्ठानों से अलग-अलग लिफाफों में तकनीकी एवं वित्तीय मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। दोनों निविदाओं को एक अलग मुहरबंद लिफाफा जिसपर "15 अगस्त, 2017 हेतु झांकी निर्माण डिजाइन एवं दर" अंकित हो, में डालकर दिनांक 05-08-2017 के 12:00 बजे दोपहर तक सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार, ऑफ पोलो रोड, पटना- 800001 में जमा करना होगा। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 05-08-2017 को ही 02:00 बजे अपराह्न में कय समिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

निविदा की शर्तें

(क) तकनीकी निविदा

- तकनीकी निविदा के साथ विषयगत झांकी का उल्लेख, डिजाईन आदि आर्ट पेपर पर प्रस्तुत करना होगा। सर्वोत्तम डिजाईन एवं अनुभव प्राप्त निविदादाता को प्राथमिकता दी जाएगी।
- प्रतिष्ठान का बिहार राज्य द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, अद्यतन आयकर दाखिल प्रमाण पत्र/अद्यतन सर्विस टैक्स चुकता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- जमानत की राशि के रूप में 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना के पदनाम से भुगतये हो, संलग्न होना चाहिए।
- निविदादाता/प्रतिष्ठान/संस्थान द्वारा तकनीकी निविदा में झांकी निर्माण के कार्य में जिन कलाकारों की सेवाएँ ली जाएगी उन कलाकारों का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित/पंजीकृत होना चाहिए। तत्संबंधी कलाकारों के सहमति पत्र के साथ प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- कलाकारों की संख्या भी दर्ज करनी होगी।
- तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं के ही वित्तीय निविदाओं पर विचार किया जाएगा।

(ख) वित्तीय निविदा

- दूसरे लिफाफे (वित्तीय लिफाफा) में कुल लागत राशि अंकित रहना चाहिए।

अन्यान्य

- निविदादाता को डिजाइन के अनुरूप कार्य का निष्पादन करना होगा।
- झांकी प्रदर्शित होने तक झांकी की सुरक्षा की जिम्मेवारी सफल निविदादाता की होगी।
- प्रदर्शन अवधि में झांकी में किसी प्रकार की टूट-फूट, कमी अथवा प्रदर्शन में असफल होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।
- निविदादाता को झांकी का निर्माण सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये ट्रक पर आलेख के अनुरूप कार्य स्थल पर संबंधित नोडल पदाधिकारी/अधोहस्ताक्षरी के निदेशानुसार करना होगा।
- झांकी के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकार, उनके परिधान, म्युजिक सिस्टम, म्युजिक आदि की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी।
- झांकी निर्माण के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी किसी भी कार्य दिवस को कार्य अवधि में नोडल पदाधिकारी डॉ० संजय कुमार, सहायक पशु प्रदर्शनी पदाधिकारी, पशुपालन सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार, पटना (मोबाईल नं० 9973436383) से प्राप्त की जा सकती है। डॉ० कुमार की देख रेख में ही झांकी का निर्माण एवं प्रदर्शन का कार्य होगा।
- निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
- सभी निविदा पशुपालन सूचना एवं प्रसार कार्यालय, बिहार, पटना के कार्यालय में प्राप्त की जाएगी।
- कार्य निष्पादन हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
- इसे विभागीय वेबसाईट www.ahd.bih.nic.in पर एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर भी देखा जा सकता है।
- किसी भी तरह का विवाद का निबटारा माननीय न्यायालय, पटना के अधीन होगा।
- निविदादाता को निविदा पर एक प्रमाण पत्र देना होगा—

“प्रमाणित किया जाता है कि निविदा की सभी शर्तें मुझे मान्य हैं तथा मैं कार्य का निष्पादन निविदा के अनुरूप करूंगा अन्यथा मेरे भुगतान पर विचार नहीं किया जाएगा”।

(डा० दिवाकर प्रसाद)
सहायक निदेशक

